

22.12.2022

पत्रावली पेश हुई।

प्राची वकील उपस्थित।

प्राची वकील विभागीय के नोटिस मय
तलबना आवश्यक रूप से पेश करे,

इत हेतु अतिम प्रवसा दिया जाकर पत्रावली
आइए 30.01.2023 के पेश है।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिवाना

30-01-23

पत्रावली पेश हुई।

प्राची व प्राची वकील अनुपस्थित

चूंकि मूल वाद प्राची व प्राची वकील के
अदम हाजिरी व अदम पेशी में खारिज हो
चुका है।

अतः आवेदन में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

छिटाजा आवेदन इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैल सुमार होकर मूल वाद के
संलग्न हो।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिवाना

